

16³/₂₆

अपीलांत के अधिवक्ता अनु० अधिवक्ता
अपीलांत को रेसपो. की तल्की वास्ते
पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जाने के
बावजूद भी रेसपो. की तल्की पूर्ण नहीं
करवाई गई। मिहाज्य अपीलांत की यह
अपील अदम पैरवी एवं अदम पालना
न्यायालय आदेश में खारिज की जाती
है। पत्रावली फैसल २३ फरवरी १९६२ नंबर से
रुग हो एवं दाखिल वक्तार हो।

अपर कलक्टर बाडमेर
(ए.डी.एम.)